न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद
रोहतास,सासाराम।

करगहर(बड़हरी) थाना काण्ड सं0–328/2019

महाबीर साह .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी/अभियोजन

10.07.2020 काराभीयुक्त/आवेदक महाबीर साह की ओर से दिनांक 06.01.2020 को धारा 437द.प्र.संहिता के अन्तर्गत दाखिल जमानत आवेदन पत्र को आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सिंह द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री रामेश्वर प्रसाद की उपस्थिति में संचालित करते हुये यह अभिकथित किया गया कि आवेदक/अभियुक्त करगहर(बड़हरी)थाना काण्ड सं. 328/2019 में धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 एवं धारा 25(1-B)(a),26,30 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित है तथा आवेदक/अभियुक्त को वर्त्तमान काण्ड में दिनांक 31.12.2019 को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए अभिरक्षा अधीपत्र के साथ कारा भेजा गया था, किन्तु आवेदक की ओर से दिनांक 14.02.2020 को एक आवेदन उसकी पुत्री की शादी में सम्मिलित होने के लिए अंतरिम जमानत हेतु दाखिल किया गया जिसपर मेरे पूर्व पदाधिकारी द्वारा दिनांक 26.02.2020 को उभय पक्षों को सुनने के पश्चात आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 05.03.2020 तक के लिए अपनी पुत्री(रिंकी कुमारी) की शादी में सम्मिलित होने हेतु अंतरिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश पारित किया गया था और आवेदक की ओर से दिनांक 26.02.2020 को ही बंध पत्र दाखिल करने पर कारा से मुक्ति हेतु मुक्ति आदेश निर्गत किया गया था। साथ ही आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 05.03.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर पुनः आत्म समर्पण किये और तब से इस वर्त्तमान काण्ड में काराधीन है। आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 06.01.2020 पर उभय पक्षों को विस्तारपूर्वक सुना गया।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक राजा राम कृष्ण, पु.स.अ.नि. बड़हरी ओ.पी. के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 29.12.2019 को समय करीब 22.00बजे रात्रि में सूचक सशस्त्र बल के साथ गस्ती करने हेतु प्रस्थान किया तथा गस्ती के क्रम में बड़हरी बाजार में थे तो समय करीब 12.30बजे ओ.पी. ध्यक्ष द्वारा मोबाईल पर सूचित किया गया कि ग्राम जलवईया में महावीर मिनी राईस मील में भारी मात्रा में अवैध शराब भण्डारण होने की सूचना प्राप्त हुई है। अवैध शराब को महाबीर मिनी राईस मील के मालिक महाबीर साह पिता स्व. काशी साह ग्राम पाण्डेयपुर थाना बड़हरी ओ.पी. जिला रोहतास द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर वाहन से अन्यत्र जगह पर छुपाने के प्रयास में है जिसके आधार पर छापामारी एवं तलाशी लेने पर महाबीर साह पिता स्व. काशी साह ग्राम पाण्डेपुर थाना करगहर बड़हरी ओ.पी. जिला रोहतास के पास से दाहिने हाथ में लिये एक रायफल तथा बांये कमर के तरफ हॉलेस्टर में रखा हुआ पिस्टल एवं कमर में बंधा हुआ विन्डोलियां जिसमें रखा हुआ .315बोर का 24 जिन्दा कारतुस एवं एक फायर किया हुआ कुल 25 चक्र गोली बरामद किया गया। गोली के पेन्दी पर 8एम.एम.के.एफ. अंकित पाया गया। होलस्टर में रखा हुआ पिस्टल को होलस्टर से बाहर निकाल कर दखने पर उसपर .32 Pidya; vobo; om HDG 170102981 0-32 Indian ordnance Factory अंकित पाया गया। होलस्टर के खोल में रखा हुआ 03 चक्र कारतुस बरामद किया गया। कमीज के ऊपर वाला बांये पॉकेट से एक सैमसंग कम्पनी का स्मार्ट फोन/मोबाईल एवं सैमसंग कम्पनी का एक छोटा मोबाईल बरामद हुआ। पकड़ाये व्यक्ति से बरामद सशस्त्र के बारे में कागजात की मांग करने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जबाव दिया गयां। रायफल पर रजि. नं.8421519 अंकित पाया गया। पूछने पर बतलाये कि एक जनवरी के उपलक्ष्य में शराब मंगवाये थे और सभी लोग शराब को गाड़ी से लेकर जाने के लिए एकत्रित हुये थें तथा तलाशी के दौरान महाबीर मिनी राईस मील के गोदाम एवं वहां खड़ी वाहनों से विभिन्न ब्रांडों का शराब जिसकी मात्र 5440.14 लीटर है, बरामद किया गया था जिसकी जप्ती सूची घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षियों के उपस्थिति में तैयार किया गया तथा जप्ती सूची पर दोनो साक्षियों द्वारा स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर किया गया और आवेदक/अभियुक्त को घटना स्थल पर बरामद शराब एवं अग्नेयाशस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर आरोपित करते हुये यह काण्ड अंकित किया गया है।

काराभियुक्त/आवेदक महाबीर साह की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उसे झूठे एवं मिथ्या वाद में संलिप्त किया गया है। सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी एवं निराधार है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के चावल मील से अत्याधिक मात्रा में अवैध शराब बरामद होने की बात कही गयी है तथा आवेदक/अभियुक्त उक्त चावल मील का स्वामी है उसके मजदूर लोग उसमें काम कर रहें थें तभी पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। आवेदक/अभियुक्त मील के स्वामी होने के

लगातार

10.07.2020 कारण प्रबंधक को निगरानी करने हेतु कह कर वह कुछ समय के लिए दूसरे मील में चला गया था। आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त तथ्य की कोई जानकारी नहीं है और उसे गलत नीति के आधार पर इस वाद में फंसाया गया है जबकि आवेदक/अभियुक्त के भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का इस वाद में जप्त वाहन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जप्त पिस्तौल एन.पी.बोर रायफल और कारतुस के अनुज्ञप्ति का छाया प्रति जमानत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र दाखिल करने हेतु तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद, रोहतास सासाराम द्वारा जमानत आवेदन का सख्त विरोध करते हुए इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात मेरे द्वारा अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध वाद दैनिकी की कंडिका 1 ता 42 का सम्यक परिशीलन किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है तथा उसके विरूद्ध प्राथमिकी के नामित सह अभियुक्तों के साथ मिल कर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की 30(a) एवं धारा 25(1-B)(a),26,30 सशस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत स्वंय (महावीर साह) के नाम के मीनी राईस मील के गोदाम के पूरब एक अर्ध निर्मित हॉलनुमा कमरा तथा राईस मील के परिसर में खड़ी स्कॉरर्पियों गाड़ी रजि नं. बी.आर.26जी.–0981 एवं सुमो विक्टा गाड़ी रजि.नं. जे.एच.055–9697, तीन पीकअप भान क्रमशः रजि. नं. यू.पी.65ए.आर.–8009, बी.आर.24जी.–0653 तथा जे.एच.10एएल.–8834 के डाला में तथा तीन पैशन प्रो मोटर साईकिल क्रमशः बी.आर.24एस.–2033, बी.आर.24एस.–4708 एवं बी.आर.01ए.वाई.–0711 के डिक्की एवं सीट पर से विभिन्न ब्रांडों का अंग्रेजी शराब 5440.14लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किये जाने तथा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)(a),26,30 के अन्तर्गत बिना अनुज्ञप्ति के पिस्तौल एवं .315बोर का 24 जिन्दा कारतूस तथा एक फायर किया हुआ कारतूस कुल 25 चक्र कारतूस बरामद होने का आरोप है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मामले को सत्य पाते हुए अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी धारा में आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में वर्णित धाराओं में संज्ञान लेते हुए सह अभियुक्तों जिनके विरूद्ध अनुसंधान जारी है, का वाद पृथक करने का आदेश पारित किया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 2 में जप्ती सूची को उल्लेखित किया गया है एवं कंडिका 3 में वादी का पुनः बयान का उल्लेख है तथा कंडिका 4, 5, 7 एवं 8 में अन्य साक्षीगण का बयान है। वादी ने अपने पुनः बयान में तथा साक्षीगण ने अपने बयान में अभियोजन मामले का समर्थन किया है। कंडिका 15 में आवेदक/अभियुक्त का सफाई बयान दर्ज किया गया है जिसमें आवेदक ने भाड़ी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण एवं परिवहन करने की बात को स्वीकार किया है। कंडिका 23 में जप्त वाहन का सत्यापन किया गया है तथा कंडिका 32 में जप्त स्कॉर्पियों गाड़ी का स्वामी होना आवेदक को ही पाया गया है। कंडिका 10 में घटनास्थल का उल्लेख है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 एवं धारा 25(1-B),26,30 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 08.06.2020 को आरोप का गठन भी किया जा चुका है तथा अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु सुनिश्चित है। मूल अभिलेख एवं पृथक अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस काण्ड के सह अभियुक्त चन्दन कुमार गुप्ता, मंटू साह एवं मंटू गुप्ता को अंतरिम जमानत पर मुक्त करने के पश्चात दिनांक 25.06.2020 को मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा उनके अंतरिम जमानत को सम्पुष्ट करने का आदेश पारित किया गया है। जमानत पर मुक्त सह अभियुक्त घटनास्थल पर से न तो पकड़े गये थे और न ही उनके भौतिक कब्जा से अवैध शराब बरामद होना पाया गया है जबकि आवेदक/अभियुक्त रंगे हाथ घटनास्थल पर पकड़े गये है और उसके मीनी राईस मील के गोदाम के पूरब एक अर्ध निर्मित हॉलनुमा कमरा तथा राईस मील के परिसर में खड़ी जप्त वाहनों से भाड़ी मात्रा में (5440.14लीटर) अवैध शराब बरामद हुआ है तथा आवेदक/अभियुक्त के पास से बिना अनुज्ञप्ति के अवैध शस्त्र एवं जीवित गोलियॉ भी बरामद की गयी है। आवेदक/अभियुक्त की भूमिका जमानत पर मुक्त किये गये अभियुक्तों की भूमिका से भिन्न है और अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है।

उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों परिस्थितियों एवं आवेदक/अभियुक्त का घटनास्थल पर भाड़ी मात्रा में अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र एवं कारतूसों के साथ पकड़ा जाना तथा अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनुसंधान के दौरान उसके विरूद्ध लगायें गये आरोपों को सत्य पाते हुए न्यायालय में आवेदक/

लगातार

10.07.2020 अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किये जाने को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक/अभियुक्त महावीर साह को जमानत पर मुक्त करना उचित एवं न्याय संगत नहीं समझता हूँ तथा आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 06.01.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश, उत्पाद रोहतास,सासाराम